राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्याः 31 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 59
दायर दिनांकः 03.02.2025
निर्णय दिनांकः 11.03.2026

1. रज्जाक मोहम्मद पुत्र साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ जिला चूरू
2. राजु बेहलीम पुत्र साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ जिला चूरू
3. आचूकी उर्फ हाजरा पुत्री महमदा जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ

................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ चूरू
2. अब्दुल रजाक पुत्र ईदु जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ
3. . मोहम्मद बाबु पुत्र ईदु जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ
4. मोहम्मद सफी पुत्र ईदु जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ
5. सलीम मोहम्मद पुत्र पुत्र ईदु जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ
6. अमीना पत्नी मुन्शी जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ
7. हारून पुत्र मुन्शी जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ
8. सहीदन पत्नी साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ

.............प्रतिवादीगण

वाद धारा 88 आर टी एक्ट सपठित धारा प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री रमेष कुमार बिस्सु।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।
3. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री शाहबाज खान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः 11.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम देवाणी तहसील

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

सुजानगढ़ में खाता संख्या 19 के खसरा नम्बर 141 तादादी 4.4257 है0, भूमि वादीगण की खातेदारी में सहखातेदारों के साथ दर्ज स्थिति है।

वादीगण सं0 1 व 2 के पिता साबिर के कानूनी वारिसान वादीगण संख्या 1 व 2, साबिर की पत्नी सहीदन है। वादी के पुत्र रज्जाक मोहम्मद का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण साबिर के दो वारिसान के 5/32 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है जो गलत है।

वाके रोही देवाणी में खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 141 में वादी संख्या 2 राजु बेहलिम पुत्र साबिर के जगह सफी पुत्र साबिर गलत दर्ज है एवं राजस्व रिकॉर्ड में रज्जक मोहम्मद पुत्र साबिर का नाम सहवन से दर्ज नहीं किया गया है। अतः वादीगण के लिए आवष्यक हो गया है कि वे रज्जक मोहम्मद पुत्र साबिर को खातेदार कृषक घोषित करावें । उपरोक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण प्रार्थी के दर्ज हुआ था, चूंकि वादीगण का सही नाम उनके रेकार्ड दस्तावेज के आधार पर **सहीदन पत्नी साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ जिला चूरू, रज्जाक मोहम्मद पुत्र साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ जिला चूरू, राजु बेहलिम पुत्र साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ जिला चूरू** उसके आधार कार्ड व पहचान पत्र मे दर्ज है, राजस्व रेकार्ड के अनुसार नाम का दस्तावेज नही होने के कारण उसको बैंक ऋण एंव सरकारी लाभ प्राप्त करने मे भारी असुविधा होती है, जिस कारण प्रार्थीगण अपने राजस्व रेकार्ड मे नाम अपने आधार कार्ड व पहचान पत्र, राशन कार्ड के अनुसर दर्ज करवाना चाहते है । जो कि प्रार्थी का कानूनी अधिकार है ।

राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी एंव उनके पिता के नाम अलग अलग होने से, सही नही होने से प्रार्थी को राजस्व से सम्बन्धित मिलने वाले सरकारी फायदो भारी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। रेकार्ड मे नाम की भिन्नता होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकारो से वंचित होना पड रहा है । वादीगण कस्बा सुजानगढ के स्थाई निवासी है, जिनकी उपरोक्त कृषि भूमि वांके रोही देवाणी तहसील सुजानगढ मे स्थित है, रेकार्ड मे संसोधन करवाये जाने का प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है । प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड मे दुरस्ती की जावे । उपरोक्त वाके रोही देवाणी तहसील सुजानगढ मे खाता सख्या 19 के खेत खसरा न. 141 तादादी 4.4257 मे प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नाम गलत है जिसकी जगह दुरस्त किया जाकर वाके रोही देवाणी तहसील सुजानगढ मे खाता सख्या 19 के खेत खसरा न. 141 तादादी 4.4257 हेक्टेयर मे प्रार्थी रज्जाक मोहम्मद पुत्र साबीर जाति रंगरेज दर्ज की 5/48 हिस्सा घोषणा की जावे एवं सफी पुत्र साबीर की जगह राजु बेहलिम पुत्र साबीर 5/48 हिस्सा के नाम खातेदारी दर्ज की घोषणा किया जावे, एंव उपरोक्त भूमि मे खातेदार कृषक घोषित किया जावे । इसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड मे वादीगण की भूवा हाजरा का नाम रेकार्ड मे आचूकी पुत्री महमदा दर्ज है, जिसका आधार कार्ड आदि दस्तावेज मे हाजरा नाम है जिसे आचूकी पुत्री महमदा की जगह हाजरा पुत्री महमदा दर्ज किया जावे। कानूनी आपतियो को ध्यान मे रखकर सभी खातेदार को पक्षकार बनाया गया है, किसी के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा है ।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वाद पेश कर निवेदन है कि घोषित किया जावे कि

- वादी रज्जाक मोहम्मद पुत्र साबीर वादगत भूमि का 5/48 हिस्सा का खातेदार कृषक है, जिसके नाम उपरोक्त भूमि मे खातेदारी घोषित की जावे।
- घोषित किया जावे कि वाके रोही देवाणी तहसील सुजानगढ मे खाता सख्या 19 के खेत खसरा न. 141 तादादी 4.4257 हेक्टेयर में प्रार्थी सफी पुत्र साबीर की जगह राजु बेहलीम पुत्र साबीर 5/48 दर्ज की घोषणा किया जावे।
- रजाक मोहम्मद पुत्र साबीर जाति रंगरेज 5/48 हिस्सा दर्ज की घोषणा की जावे
- सहीदन के नाम दर्ज 5/32 की जगह आनुपातिक रूप से 5/48 हिस्सा दर्ज किया जावे।
- राजस्व रेकार्ड मे आचूकी पुत्री महमदा दर्ज है, जिसे आचूकी पुत्री महमदा की जगह हाजरा पुत्री महमदा दर्ज किया जावे ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट पेश कर पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वादगत खेत का राजस्व रिकॉर्ड निम्नानुसार दुरूस्त करने बाबत निवेदन कियाः–

- सफी पुत्र साबिर एवं राजु बेहलीम पुत्र साबीर अली बेहलीम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः सफी पुत्र साबिर के स्थान पर राजु बेहलीम पुत्र साबीर अली बेहलीम दुरूस्त किया जाना उचित है।
- आचूकी पुत्री महमदा व हाजरा पुत्री महमदा दोनों एक ही महिला है। आचूकी पुत्री महमदा के स्थान पर हाजरा पुत्री महमदा दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री शाहबाज खान ने वकालतनामा एवं इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा जमाबन्दी ग्राम देवाणी खाता संख्या 19 (ख0नं0 141) प्रदर्श 1, स्वप्रमाणित कुर्सीनामा प्रदर्श–2 प्रदर्शित करवाये।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा, जमाबन्दी, आधारकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में नाम राजू बेहलीम व हाजरा अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

–:आदेश:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि व प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ़ आदेश दिया जा है कि :–

- घोषित किया जाता है कि वादी रज्जाक मोहम्मद पुत्र साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू वादगत भूमि का 5/48 हिस्सा का खातेदार कृषक है।
- वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सफी पुत्र साबीर की जगह राजु बेहलीम पुत्र साबीर किया जाए एवं घोषित किया जाता है कि राजु बेहलीम पुत्र साबीर की वादगत भूमि में 5/32 हिस्सा के स्थान पर 5/48 हिस्से का खातेदार है।
- घोषित किया जाता है कि सहीदन के नाम दर्ज हिस्सेदारी 5/32 की जगह आनुपातिक रूप से 5/48 हिस्सा दर्ज किया जावे।
- राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार का नाम आचूकी पुत्री महमदा की जगह हाजरा पुत्री महमदा दर्ज किया जावे ।

अन्य सभी प्रविष्टी एवं रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़, जिला–चूरू

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

रज्जाक मोहम्मद आदि बनाम राजस्थान सरकार व अन्य
वाद धारा 88 आरटी एक्ट सपठित धारा 136 एलआर एक्ट
मुकदमा न0 31 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री रमेश कुमार बिशु एवं श्री शाहबाज, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित किया जाता है कि

- वादी रज्जाक मोहम्मद पुत्र साबीर जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू वादगत भूमि का 5/48 हिस्सा का खातेदार कृषक है।
- वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सफी पुत्र साबीर की जगह राजु बेहलीम पुत्र साबीर किया जाए एवं घोषित किया जाता है कि राजु बेहलीम पुत्र साबीर की वादगत भूमि में 5/32 हिस्सा के स्थान पर 5/48 हिस्से का खातेदार है।
- घोषित किया जाता है कि सहीदन के नाम दर्ज हिस्सेदारी 5/32 की जगह आनुपातिक रूप से 5/48 हिस्सा दर्ज किया जावे।
- राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार का नाम आचूकी पुत्री महमदा की जगह हाजरा पुत्री महमदा दर्ज किया जावे ।

अन्य सभी प्रविष्टी एवं रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 **माह 03 2026**

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू)

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी
ओहदा सुजानगढ़ ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक गीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।